अनुदान संख्या 91 – पर्यटन विभाग
GRANT No. 91–DEPARTMENT OF TOURISM

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	160,80,00		167,80,00	166,41,09	–1,38,91
पूरक	Supplementary	7,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1,48,93
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	205,50,00		247,20,00	239,31,28	–7,88,72
पूरक	Supplementary	41,70,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					7,70,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (138.91 लाख रु.) दिसम्बर, 2003 में प्राप्त किए गए 700.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 20 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित राशि (148.93 लाख रु.) भी कुल बचत से अधिक हो गई। साथ ही, एक मुख्य शीर्ष के अंतर्गत 882.67 लाख रु. के अधिक व्यय की तुलना में 3 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 1021.58 लाख रु. की बचत हुई जिसके परिणामस्वरूप 138.91 लाख रु. की कुल बचत हुई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.138.91 lakhs) constituted 20 percent of the supplementary grant of Rs.700.00 lakhs obtained in December, 2003 and 1 percent of the total sanctioned provision. The amount surrendered (Rs.148.93 lakhs) also exceeded the overall savings. Further, savings of Rs.1021.58 lakhs occurred under 3 major heads against excess of Rs.882.67 lakhs under one major head resulting in overall savings of Rs.138.91 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष / Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3452'' पर्यटन	Major Head "3452" Tourism				
मू.	O.	14932.00	16496.17	16514.67	+18.50
पू.	S.	700.00			
पु.	R.	864.17			
मुख्य शीर्ष "2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	1000.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–1000.00			

(I) 1000.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552''-"अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान'' के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को संबंधित कार्यात्मक शीर्षों से पूरा करने के लिए पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का उपयोग किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3452'' - "सामान्य - अन्य व्यय - भारतीय पर्यटन विकास निगम के लिए विनिवेश से होने वाली आय की वापसी के लिए प्रावधान'' के अंतर्गत 851.82 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा विनिवेशित होटलों को की जाने वाली प्रतिपूर्ति की राशि का निपटान न किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "3452'' - "सामान्य'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''प्रशिक्षण - आईएचएमएस/ एफसीआई/ आईआईटीटीएम/ एनसीएचएमसीटी को सहायता''- 799.82

(I) Provision of Rs.1000.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2552"-"Other Expenditure- Lumpsum Provision for Projects/Schemes of N.E. Region and Sikkim"– due to utilisation of funds by re-appropriation for meeting the expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim from the concerned functional heads.

(II) Under Major Head "3452"-"General-Other Expenditure – Provision for refund of disinvestment Proceeds for ITDC"- saving of Rs.851.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to non-settlement of amount to be reimbursed to disinvested hotels by Indian Tourism Development Corporation.

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "3452" – "General" - under the following heads:-

(A) "Training – Asstt. to IHMS/FCI/IITTM/ NCHMCT"- excess of Rs.799.82 lakhs (against

लाख रु. का अधिक व्यय (1750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में स्कीमों/कार्यक्रमों के लाभ के उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) "संवर्धन और प्रचार - प्रत्यक्ष व्यय"- 1063.69 लाख रु. का अधिक व्यय (6820.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूचना अभियान इलेक्ट्रानिक और मुद्रण प्रचार माध्यमों से चलाए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (788.72 लाख रु.) दिसम्बर, 2003 में प्राप्त किए गए 4170.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 19 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

the sanctioned provision of Rs.1750.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation for the benefit of the schemes/programmes in the North Eastern Region and Sikkim.

(B) "Promotion and Publicity – Direct Expenditure" - excess of Rs.1063.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6820.00 lakhs) was due to Information campaign done through electronic and print media.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.788.72 lakhs) constituted 19 percent of the supplementary grant of Rs.4170.00 lakhs obtained in December, 2003 and 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "5452" पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5452" Capital Outlay on Tourism				
मू.	O.	18300.00			
पू.	S.	1800.00	22350.00	22331.28	–18.72
पु.	R.	2250.00			
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	2250.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–2250.00			
मुख्य शीर्ष "7452" पर्यटन के लिए कर्ज	Major Head "7452" Loans for Tourism				
पू.	S.	2370.00	1600.00	1600.00	. .
पु.	R.	–770.00			

(I) 2250.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष " 4552''- "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्रऔर सिक्किम की परियेाजना/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान'' के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को संबंधित कार्यात्मक शीर्षों से पूरा किए जाने के लिए पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का उपयोग किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "7452'' - "अन्य - अन्य कर्ज - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम पर भारतीय पर्यटन विकास निगम को कर्ज'' के अंतर्गत 2370.00 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं जो, तथापि, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के लिए प्रतिक्रिया के अपेक्षा से कम रहने के कारण 770.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "5452'' - "पर्यटक अवसंरचना'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) "पर्यटक केन्द्र - पर्यटक सर्किटों का एकीकृत विकास''- 548.87 लाख रु. का अधिक व्यय (1750.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 7750.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) "पर्यटक आवास - उत्पाद/अवसंरचना एवं गंतव्य स्थान का विकास''- 1682.41 लाख रु. का अधिक व्यय (10000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष " 4552'' से पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में स्कीमों/कार्यक्रमों के लाभ के उपयोग के लिए संबंधित कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(I) Provision of Rs.2250.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "4552"-"Other Expenditure- Lumpsum Provision for Project/Schemes of NE Region and Sikkim" - due to utilisation of funds by re-appropriation for meeting expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim from the concerned functional heads.

(II) Under Major Head "7452" – "Others – Other loan – Loans to ITDC on VRS" – funds of Rs.2370.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.770.00 lakhs - due to lesser response for Voluntary Retirement Scheme than expected.

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "5452" – "Tourist Infrastructure" – under the following heads:-

(A) "Tourist Centres - Integrated Development of Tourist Circuits"- excess of Rs.548.87 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.7750.00 lakhs including supplementary grant of Rs.1750.00 lakhs); and

(B) "Tourist Accommodation-Product/ Infrastructure and Destination Development"- excess of Rs.1682.41 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10000.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to concerned functional heads for utilisation for the benefit of the schemes/ programmes in the North Eastern Region and Sikkim.